प्रपत्र VII

आदेश–पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, ...

केस नं0 ....   राज्य बनाम अजय कुमार सिंह

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम – अजय कुमार सिंह
2. उम्र – ३० वर्ष
3. पिता का नाम – राधाधार सिंह
4. पता – ग्राम-भ्रमरनगर - थाना - मोर, जिला - गोपालगंज
5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और स्थान - 21/9/22, 20:10 बजे भोगाड़ी
6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि 21/9/22

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मै एतद द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 21/9/22 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह भोगाड़ी (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी, जिससे संपुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है।

उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अधीन Rs 5000/ रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

(Five Thousand)

Upon deposit of fine let he be rel—

Deepak Kumar 21/9/22

कार्यपालक मजिस्ट्रेट–सह–
न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी)

....

तिथि 21/9/22

स्थान भोगाड़ी